फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

मालीराम बनाम सुआराम

मुकदमा संख्या / वर्ष : 23/2022

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	05/04/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक प्रतिवादी ने लिखित जवाब पेश कर [illegible] किया। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश दिनांक 22/04/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	22/04/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य राजकार्य (प्रोटोकोल ड्यूटी) हेतु अन्यत्र व्यस्त होने से पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय पुनः दिनांक 29/04/22 को पेश हो।
	29/4/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस अंतिम उभयपक्ष [illegible] पर मनन किया [illegible] अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि [illegible] पूर्व में कभी वादी के पूर्वजों के नाम 2/3 हिस्सा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

~~अपर कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ... ग्रामीण-जयपुर~~

मालीराम बनाम सूजाराम व अन्य

संख्या / वर्ष : 23/2013

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/4/14	[illegible] रूप में अंकित नहीं रहते है जिनकी स्वयं वादी के प्रस्तुत दस्तावेजात भी पुष्टि नहीं करते है अपितु प्रकृति वादी व प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम 1/2-1/2 हिस्से के रूप में सहखातेदार अविभाजित रूप में दर्ज रहे है। जिनकी वादी द्वारा स्वयं के अनुकूल व्याख्या करना की गई है। इसके अतिरिक्त वादी के पिता को गोद जाने सम्बन्धी तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। यद्यपि गोद जाने के तथ्य का वाद की मूल प्रकृति से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। नाही गोद जाने की औचित्यता स्पष्ट होती है। अत: वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक को सुनाया गया। विस्तृत निर्णय संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकॉर्ड नम्बर [illegible] हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)

वाद सं.:– 23/2013 **निर्णय दिनांक : 29.04.2022**

1. मालीराम पुत्र भूराराम उर्फ भूरिया जाति बलाई
   निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. सूजाराम पुत्र प्रभात (मृतक दौराने प्रकरण)

1/1. श्रीराम उर्फ बाबू पुत्र स्व. सूजाराम

1/2. श्रीमति संज्यादेवी धर्मपत्नि स्व. श्री सूजाराम जाति गुर्जर
निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/3. श्रीमति रुडीदेवी पुत्री स्व. श्री सूजाराम धर्मपत्नि कानाराम जाति गुर्जर
निवासी बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

1/4. श्रीमति सन्तिदेवी पुत्री स्व. श्री सूजाराम धर्मपत्नि हनुमान जाति गुर्जर
निवासी बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

1/5. श्रीमति छोटादेवी पुत्री स्व. श्री सूजाराम धर्मपत्नि छीतर जाति गुर्जर
निवासी कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. काना पुत्र नारायण
3. गोमा उर्फ मोहन पुत्र नारायण
4. सरजू पत्नि स्व. लल्लू

समस्त जाति गुर्जर निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
6. सेडूराम पुत्र भूरा उर्फ भूरिया
7. हनुमान पुत्र भूरा उर्फ भूरिया

समस्त जाति गुर्जर निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता वादी : श्री लाल[illegible]

उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादी : श्री न[illegible]

निर्णय **दिनांक**

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वादी की ओर से ग्राम काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नं. 350 लगायत 357 कुल खसरा किता 8 कुल रकबा 3.33 है. के सन्दर्भ में घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भूमि के गत ख.नं. 88 व 89 थे। जिनके गत ख.नं. 216 लगायत 224 थे। वादी व प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 सगे भाई है तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 स्वर्ण जाति के सदस्य है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में उल्लेखित किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 के पूर्वज जीवण वल्द रामू व जैस्या, भूरया पि. कुशाल थे। जीवण के पुत्र बीजा एवं बीजा के पुत्र भूरा उर्फ भूरिया तथा भूरा उर्फ भूरिया के पुत्र वादी व प्रतिवादी सं. 6 व 7 पैदा हुये तथा कुशला के पुत्र के रूप में जैस्या व भूरिया पैदा हुये। भूरिया अविवाहित फौत हो गया तथा जैस्या के उसकी पत्नी नानगी वारिस थी। **नानगी ने वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 के पिता भूरा उर्फ भूरिया को गोद ले लिया।** इस प्रकार रामू उर्फ कुशला की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति का एक मात्र मालिक भूरा उर्फ भूरिया (पिता वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7) हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 के पिता भूरा उर्फ भूरिया का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन उसके हिस्से की भूमि का नामान्तकरण वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 के नाम नही खुला है।

वादी द्वारा अपने वादपत्र में उल्लेखित किया गया है कि **भूमि वादग्रस्त के साबिक खसरा नं. में जीवण वल्द रामू का हिस्सा 1/3 , जैस्या भूरिया पि. कुशला का हिस्सा 1/3 तथा प्रभात वल्द रामू का हिस्सा 1/3 सम्वत 1987 के राजस्व रिकार्ड में अंकित है** तथा जैस्या के स्वर्गवास के पश्चात नानगी बेवा जैस्या के नाम से 1/3 हिस्से का नामान्तकरण खुल गया तथा 1/3 हिस्सा भूरा पुत्र बीजा (पिता वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7) एवं 1/3 हिस्सा प्रभात एवं नारायण पुत्रान रामू का है। नानगी के स्वर्गवास के पश्चात नानगी के 1/3 हिस्से का वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 के पिता भूरा गोद पुत्र नानगी के नाम से उक्त भूमि का नामान्तकरण खुल गया एवं राजस्व रिकार्ड में नानगी के स्थान पर भूरा (पिता वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7) का नाम अंकित हो गया। **इस प्रकार वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं. 6 व 7 के पिता भूरा का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा हो गया** तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 ने फर्जकारी कर वर्णित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 के पिता के 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रभात का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता. 4 का 1/4 हिस्सा गलत रूप से अंकित करवा लिया, जबकि प्रतिवादीगण 1 ता. 4

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

का 1/3 हिस्सा अंकित होना चाहिए था। जिसके सन्दर्भ में प्रतिवादीगण से सम्पर्क करने पर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दुरूस्ती बाबत आश्वासन दिया जाता रहा तथा बाद में दुरूस्ती करवाने से इन्कार कर दिया तथा उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाना चाहते हुये प्रतिवादीगण वादी व प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 को भूमि से बेदखल करते हुए उल्लेखित भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है। जिससे वादीगण को अपने हक अधिकार के रूप में वर्णित भूमि के सन्दर्भ में 2/3 हिस्से की घोषणा हेतु वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है।

अतः वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 6 व 7 को उल्लेखित वादग्रस्त भूमि 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावें एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता. 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि उल्लेखित भूमि से वादी को बेदखल ना करे तथा ना ही भूमि को विक्रय स्थानान्तरण आदी करे एवं वादी को भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करे।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये–

1.प्रदर्श पी 1 :– सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत 2058–2061 जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नं. 350 लगायत 357 में वादी के पिता का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रभात पुत्र रामू का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा दर्ज अंकित है।

2.प्रदर्श पी 2 :– प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खतौनी एकीकरण सम्वत 2023 जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 88 व 89 की खातेदारीता नानगी बेवा जैस्या, भूरिया पुत्र जाति बलाई तथा प्रभात, नारायण पि. रामू जाति गुर्जर के नाम हिस्सा बराबर के रूप में अंकित है। विशिष्ट हिस्से का अंकन नही है। जिसके कम में प्रचलित सारगर्भित व्यवस्था (दो विभिन्न जातियों के परिवारों के दर्शित सहखातेदारान के मध्य भूमि [illegible] का विशिष्ट अंकन नही होकर [illegible] होने का सारगर्भित अर्थ हिस्सा 1/2 [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य के तुलनात्मक विवेचन व गणना अनुसार व[illegible] के पूर्वज (बलाई जाति) का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण के पूर्वज (गुर्जर जाति) का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

1/2 होना प्रकट होता है। जो कि वादी के कथनों की पुष्टि नही करके स्वयं वादी के कथनों को खण्डित करता है।

3. प्रदर्श पी 3 :– सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2024–27। जिसके अनुसार भी भूमि खसरा नं. 88 व 89 की खातेदारीता नानगी बेवा जैरया, भूरिया पुत्र जाति बलाई तथा प्रभात, नारायण पि. रामू जाति गुर्जर के नाम अंकित है। विशिष्ट हिस्से का अंकन नही है। जिसके कम में भी प्रचलित सारगर्भित व्यवस्था (दो विभिन्न जातियों के परिवारों के दर्शित सहखातेदारान के मध्य भूमि की हिस्सेदारी का विशिष्ट अंकन नही होकर हिस्सा बराबर निस्फ अंकन होने का सारगर्भित अर्थ हिस्सा 1/2 – 1/2 होगा) व दस्तावेजी साक्ष्य के तुलनात्मक विवेचन व गणना अनुसार वादी के पूर्वज (बलाई जाति) का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण के पूर्वज (गुर्जर जाति) का हिस्सा 1/2 होना प्रकट होता है। जो कि वादी के कथनों की पुष्टि नही करके स्वयं वादी के कथनों को खण्डित करता है।

4. प्रदर्श पी 4 :– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2028–31। जिसके अनुसार भी भूमि खसरा नं. 88 व 89 की खातेदारीता नानगी बेवा जैस्या, भूरिया पुत्र जाति बलाई तथा प्रभात, नारायण पि. रामू जाति गुर्जर के नाम हिस्सा बराबर के रूप में अंकित है। विशिष्ट हिस्से का अंकन नही है। जिसके कम में प्रचलित सारगर्भित व्यवस्था (दो विभिन्न जातियों के परिवारों के दर्शित सहखातेदारान के मध्य भूमि की हिस्सेदारी का विशिष्ट अंकन नही होकर हिस्सा बराबर निस्फ अंकन होने का सारगर्भित अर्थ हिस्सा 1/2 – 1/2 होगा) व दस्तावेजी साक्ष्य के तुलनात्मक विवेचन व गणना अनुसार वादी के पूर्वज (बलाई जाति) का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण के पूर्वज (गुर्जर जाति) का हिस्सा 1/2 होना प्रकट होता है। जो कि वादी के कथनों की पुष्टि नही करके स्वयं वादी के कथनों को खण्डित करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रदर्श पी 5 :– सत्यापित प्रतिलिपि नामान्तकरण [illegible] 82। जिसके अनुसार भूमि खसरा न[illegible] खातेदार नानगी बेवा जैरया की फौतगी पर उसके हिस्से का नामान्तकरण भूरिया पुत्र बीजा के नाम स्वीकृत हुआ है। शेष सहखातेदारान के हिस्से बदस्तुर है। किसी पक्षकार के विशिष्ट हिस्से का अंकन नही है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

6. प्रदर्श पी 6 :– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2028–31। जिसके अनुसार भी भूमि खसरा नं. 88 व 89 की खातेदारीता नानगी बेवा जैस्या, भूरिया पुत्र जाति बलाई तथा प्रभात, नारायण पि. रामू जाति गुर्जर के नाम हिस्सा बराबर के रूप में अंकित है। विशिष्ट हिस्से का अंकन नही है। जिसके कम में प्रचलित सारगर्भित व्यवस्था (दो विभिन्न जातियों के परिवारों के दर्शित सहखातेदारान के मध्य भूमि की हिस्सेदारी का विशिष्ट अंकन नही होकर हिस्सा बराबर निस्फ अंकन होने का सारगर्भित अर्थ हिस्सा 1/2 – 1/2 होगा) व दस्तावेजी साक्ष्य के तुलनात्मक विवेचन व गणना अनुसार वादी के पूर्वज (बलाई जाति) का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण के पूर्वज (गुर्जर जाति) का हिस्सा 1/2 होना प्रकट होता है। जो कि वादी के कथनों की पुष्टि नही करके स्वयं वादी के कथनों को खण्डित करता है।

7. प्रदर्श पी 7 :– प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण सम्वत 2023 जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त के गत खसरा नं. 88 व 89 के गत खसरा नं. 229, 230, 232, 233, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 236 लगायत 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244 होना प्रमाणित है।

8. प्रदर्श पी 8 :– सत्य प्रतिलिपि नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त सम्वत 2046–65 जिसके अनुसार भूमि हाल खसरा नं. 350 लगायत 357 के साबिक खसरा नं. 88, 89 होना प्रमाणित है।

9. प्रदर्श पी 9 :– छायाप्रति मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत 1987 जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि खसरा नम्बरान 216 लगायत 224 की खातेदारीता नाम खातेदार जीवण वल्द रामू व जैस्या, भूरिया पि. कुशला जाति बलाई हिस्सा बराबर निस्फ व प्रभात वल्द रामू कोम गुर्जर हिस्सा निस्फ अंकित है। विशिष्ट हिस्से का अंकन नही है। जिसके कम में प्रचलित सारगर्भित व्यवस्था (दो विभिन्न जातियों के परिवारों के दर्शित सहखातेदारान के मध्य भूमि की हिस्सेदारी का विशिष्ट अंकन नही होकर हिस्सा बराबर निस्फ अंकन होने का सारगर्भित अर्थ हिस्सा 1/2 – 1/2 होगा) व दस्तावेजी साक्ष्य के तुलनात्मक विवेचन व गणना अनुसार वादी के पूर्वज (बलाई जाति) का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण के पूर्वज (गुर्जर जाति) का हिस्सा 1/2 होना प्रकट होता है। जो कि वादी के कथनों की पुष्टि नही करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

स्वयं वादी के कथनों को खण्डित करता है। यद्यपि प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उक्त प्रदर्श में अंकित भूमि का भूमि वादग्रस्त से कोई संबंध प्रकट नही होता है।

वादपत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की ओर से कथन किया गया है कि नानगी पत्नी जैस्या ने वादी व प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 के पिता को कभी गोद नहीं लिया था, ना ही कुशला वादी व प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 के पूर्वज हो सकते है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 से कॉल्यूजन कर मिन प्रतिवादीगण की भूमि को हडप करने व प्रतिवादीगण को परेशान करने के उदेश्य से वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसका वास्तविकता से कोई सम्बद्ध नही हैं, ना ही राजस्व रिकार्ड सम्वत 1987 में वर्णितानुसार हिस्से का विभाजन दर्शाया गया है। सम्वत 1987 व सम्वत 1993 से 2002 तक मिन प्रतिवादीगण के पूर्वज का 1/2 हिस्सा तथा सम्वत 2024 तक भी विवादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा मिन प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज रहा है तथा इसी क्रम में सम्वत 2036 से 2039 तक वादग्रस्त भूमि में मिन प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 के रूप में बदस्तुर जारी रहा तथा वर्तमान में भी मिन प्रतिवादीगण (1 लगायत 4) अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा मिन प्रतिवादीगण की हिस्से की भूमि से वादीगण का कोई संबद्ध सरोकार नही है। भूमि वादग्रस्त में वादी अथवा वादी के पूर्वजों का 2/3 हिस्सा कभी अंकित नही रहा है तथा भूमि वादग्रस्त पूर्व से ही मिन प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम 1/2 हिस्सें के रूप में दर्ज अंकित रही है। जिसके क्रम में ही वर्तमान रिकार्ड अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 का हिस्सा दर्ज अंकित है। जो पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही राजस्व अधिकारीयों द्वारा दर्ज किया गया है तथा भूमि वादग्रस्त में बोरिंग का निर्माण भी प्रतिवादीगण द्वारा करवाया हुआ है एवं विद्युत कनेक्शन भी मिन प्रतिवादीगण के नाम से है। इस प्रकार भूमि के सन्दर्भ में वादी का यह कथन सर्वथा गलत है कि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 का 2/3 हिस्सा निहित है। इस प्रकार भूमि वादग्रस्त में वादी के पूर्वजों का हिस्सा पूर्व से ही 1/2 नियत होने से वादी किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है, ना ही भूमि में कब्जाकाश्त वादीगण का रहा है। जिससे भी वादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 5 को आवश्यक प्रावधान के रूप में धारा 88(2) ... पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर भी वादी कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है एवं ना ही वादी को कोई वादकारण उत्पन्न हुआ है। जिससे भी वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

...क कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये–

1. प्रदर्श–डी 1 :– प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग। जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त का हाल खसरा नं. 350 लगायत 357 के गत खसरा नं. 88, 89 होना प्रमाणित है।

2. प्रदर्श–डी 2 :– प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण सम्वत। जिसके अनुसार भूमि हाल खसरा नं. 350 लगायत 357 के गत खसरा नं. 88 व 89 के गत खसरा नं. 229, 230, 232, 233, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 236 लगायत 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244 होना प्रमाणित है।

3. प्रदर्श–डी 3 :– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त (भू–प्रबन्ध) सम्वत 2008–27 जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 229 लगायत 244 कुल खसरा किता 16 कुल रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा नानगी बेवा जैस्या, परवता वल्द रामू जाति गुर्जर बीजा वल्द जीवण जाति बलाई के नाम हिस्सा बराबर के रूप में दर्ज अंकित रही है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

4. प्रदर्श–डी 4/1 :– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2024 –27 जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि 88 व 89 जो कि हाल भूमि के साबिक खसरा नं. है। मु. नानगी बेवा जैस्या, भूरिया पुत्र बीजा जाति बलाई, प्रभात, नारायण पि. रामू जाति गुर्जर के नाम दर्ज अंकित रही है। उक्त जमाबन्दी में हिस्सा विशिष्ट का अंकन नही है।

5. प्रदर्श–डी 4/2 :– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2028–31 जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि 88 व 89 जो कि हाल भूमि के साबिक खसरा नं. है। मु. नानगी बेवा जैस्या, भूरिया पुत्र बीजा जाति बलाई, प्रभात, नारायण पि. रामू जाति गुर्जर के नाम दर्ज अंकित रही है। उक्त जमाबन्दी में हिस्सा विशिष्ट का अंकन नही है।

6. प्रदर्श–डी 4/3 :– प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2036–39 जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि खसरा नं. 88 व 89 जो कि हाल भूमि के साबिक खसरा नं. है की खातेदारी भूरिया पुत्र बीजा जाति बलाई हिस्सा 1/2, प्रभात, रामू हिस्सा 1/4, लल्लू, श्रवण, काना, गोमा पि. नारायण हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर के नाम दर्ज अंकित है। जिसमें अंकित हिस्सा विशिष्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

अनुसार वादी के पूर्वज का हिस्सा 1/2 व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज है।

7. प्रदर्श–डी 5 :– प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी सम्वत 2008–11, 2012–15, 2016–19, 2020–23, 2024–27। जिसके अनुसार

8. प्रदर्श–डी 6 :– सत्य प्रतिलिपि पर्चा चक बन्दी सम्वत 1993–02 जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 216 लगायत 228, 239 जैस्या वल्द कुशला कौम बलाई के नाम हिस्सेदारी 1/2 के रूप में व प्रभात वल्द रामू के नाम 1/2 हिस्से के रूप में दर्ज अंकित है। (यद्यपि उक्त खसरा नंबरान का हाल भूमि से संबंध स्पष्ट नही है।)

9. प्रदर्श–डी 7 :– सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2048–51 जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि खसरा नं. 350 लगायत 356 भूरिया पुत्र बीजा जाति बलाई के नाम 1/2 हिस्से के रूप में तथा प्रभात पुत्र रामू जाति गुर्जर हिस्सा 1/4 व लल्लू, काना, गोमा, पि. नारायण जाति गुर्जर हिस्सा 1/4 के रूप में दर्ज अंकित है। जो वादी/वादी के पूर्वज का हिस्सा 1/2 व शेष 1/2 प्रतिवादीगण का प्रमाणित करता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर मु. जयपुर

10. प्रदर्श–डी 8 :– सत्य प्रति विद्युत बिल माह जनवरी 2007 जो प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 के नाम जारी/अंकित है। उक्त दस्तावेज में खसरा नं. विशिष्ट का उल्लेख नही है। जिससे भूमि वादग्रस्त का संबंध प्रमाणित नही होता है।

इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी सं. 3 गोमा पुत्र नारायण गुर्जर, पांचूराम पुत्र बिंजारमा गुर्जर, लालाराम पुत्र छोटुराम बलाई के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये गये।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1 आया भूमि विवादग्रस्त खसरा नं. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 कुल किता 8 कुल रकबा 3.33 है. के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर वादी व प्रतिवादी सं. 6 व 7 उक्त भूमि में 2/3 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

–वादी

2 आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

–वादी

3 आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

—प्रतिवादी 1 से 4

4 आया वाद प्रतिवादी सं. 5 को 80 (2) सीपीसी का नोटिस दिया गया होने से वाद चलने योग्य नहीं है।

—प्रतिवादी 1 से 4

5 अनुतोष ?

कायम तनकीयात के कम में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र स्वयं वादी मालीराम पुत्र भूराराम जाति बलाई, पूरणमल पुत्र बिरदाराम रैगर, मूरली पुत्र पांचूराम योगी, प्रभात पुत्र कुशला बुनकर के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी सं. 3 गोमा पुत्र नारायण गुर्जर, पांचूराम पुत्र बिंजारमा गुर्जर, लालाराम पुत्र छोटुराम बलाई के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये गये। जिसके उपरान्त पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई तथा उक्त कम में अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस अन्तिम सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों, तथ्यों, तर्को व लिखित बहस के आधार पर प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है :—

1. तनकी सं. 1 :— आया भूमि विवादग्रस्त खसरा नं. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 कुल किता 8 कुल रकबा 3.33 है. के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर वादी व प्रतिवादी सं. 6 व 7 उक्त भूमि के 2/3 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर मु. जयपुर

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। जिसके कम में विवेचन अनुसार वादी द्वारा उल्लेखित उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में स्वयं व प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 की हिस्सेदारी अधिकारीता वर्तमान स्थिति अनुसार प्रदर्शित हिस्सेदारी अधिकारीता 1/2 के स्थान पर 2/3 होने बाबत दावा करते हुये प्राथमिक [illegible] दस्तावेज के रूप में पौराणिक दस्तावेज [illegible] सम्वत 1987 **(प्रदर्श पी 1)** को आधार [illegible] करते हुये साथ ही अन्य दस्तावेजात यथा **जमाबन्दी ख[illegible] एकीकरण भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2023 (प्रदर्श पी 2),** जमाबन्दी सम्वत 2024—2027 **(प्रदर्श पी 3),** जमाबन्दी सम्वत 2028—2031 **(प्रदर्श पी 4), मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण** विभाग सम्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

2023 **(प्रदर्श पी 7)**, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2046–65 **(प्रदर्श पी 8)**, व नामान्तकरण प्रविष्टि सं. 82 दिनांक 22.05.1973 **(प्रदर्श पी 5)** प्रस्तुत कर भूमि में स्वयं की अधिकारीता पूर्व के राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से के स्थान पर 2/3 हिस्से की होने को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है तथा इसके अतिरिक्त अपने अन्य अभिकथन में यह भी प्रदर्शित किया गया है कि भूमि हाल खसरा नम्बरान के पौराणिक खसरा नं. 216 लगायत 224 थे तथा उसके पश्चात खसरा नं. 88 व 89 बने। जिसके उपरान्त हाल खसरा नम्बरान बने है एवं एक अन्य अभिकथन के रूप में वादी द्वारा यह भी कथन/सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि वादी के पिता भूरा उर्फ भूरिया पुत्र बीजा को भूरा उर्फ भूरिया के दादा जीवण के चचेरे भाई के जैस्या की पत्नी नानगी ने गोद ले लिया थां। जिसके आधार पर वादी का पिता भूरा, रामू व कुशला की सम्पूर्ण सम्पति का एकमात्र वारिस/मालिक हुआ।

वादी के उपरोक्त समस्त अभिकथनों एवं अभिकथनों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत समस्त/सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के समग्र व कमवार विवेचन एवं तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य में वादी के पूर्वजों का स्पष्ट हिस्सा 1/3 – 1/3 अंकित नही है तथा स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों यथा प्रदर्श पी 2, पी 3, पी 4, पी 5, पी 9, में अन्तर्निहित/सारगर्भित हिस्सेदारी 1/2 – 1/2 की वादी द्वारा स्वयं के अनुकूल गणना कर उक्त अभिलिखित हिस्सेदारी की 2/3 – 1/3 के अनुसार व्याख्या कर अनुतोष चाहा गया है। जबकि उक्त दस्तावेजात में अन्तर्निहित/सारगर्भित व्यवस्था अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की हिस्सेदारी [illegible] 2 – 1/2 अभिलिखित है, जो कि स्वयं व [illegible] प्रदर्शित [illegible] है जो कि वादी के कथनों की पुष्टि नहीं करते हुए स्वयं वादी के कथनों को खण्डित करते है।

इसके अतिरिक्त वादी के एक अन्य कथन की विवेचना के कम में भी यह स्पष्ट होता है कि भूमि वादग्रस्त

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

हाल खसरा नम्बरान का कभी साबिक खसरा नं. 216 लगायत 224 नही रहा है, अपितु हाल भूमि के गत खसरा नं. वादी के कथनों के विपरीत 216 लगायत 224 नही होकर खसरा नं. 229 लगायत 244 रहे है। जो कि स्वयं वादी के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 7 मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण विभाग सम्वत 2023 व प्रदर्श पी 8 मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध सम्वत 2046–65 से स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त उक्त सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श डी 6 पर्चा चक बन्दी के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 216 लगायत 224 में भी वादीगण के पूर्वज की अधिकारीता 1/2 हिस्से की तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज की 1/2 हिस्से की अंकित है।

इसी प्रकार वादी के एक अन्य अभिकथन कि **"वादी के पिता भूरा उर्फ भूरिया पुत्र बीजा को नानगी पत्नी जैस्या ने गोद ले लिया था"** के सन्दर्भ की समग्र विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि तो भूरा उर्फ भूरिया जाति बलाई के नानगी बेवा जैस्या जाति बलाई के गोद जाने अथवा नही जाने संबंधी तथ्य का वाद की पृष्ट भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध स्पष्ट नही है, क्योंकि किसी सजातीय व्यक्ति (भूरा उर्फ भूरिया जाति बलाई) का किसी तथाकथित पारिवारीक सजातीय व्यक्ति (नानगी बेवा जैस्या जाति बलाई) के गोद जाने अथवा नही जाने का भूमि के अन्य गैर जातिय व्यक्ति (प्रभात वल्द रामू जाति गुर्जर) के हक हिस्से पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडना प्रतित होता है। फिर भी उक्त कम में तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विधिक प्रावधानों के अनुसार एकमात्र सन्तान का गोद जाना उचित प्रतित नही होता है। प्रस्तुत सजरा अनुसार वादी का पिता भूरा उर्फ भूरिया अपने पिता बीजा पुत्र जीवण का एकमात्र पुत्र था। जिसका नानगी बेवा जैस्या के गोद चले जाने का तथ्य उचित/सम्यक नही होकर सन्देहास्पद प्रतित होता है, जबकि वादी द्वारा उक्तानुसार कोई साक्ष्य दस्तावेज यथा गोदनामा/इकरारनामा/लिखावट आदि भी प्रस्तुत नही किया गया है तथा ना ही भूरा पुत्र बीजा का नानगी बेवा जैस्या के गोद जाने की सार्थकता/औचित्यता

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

ही स्पष्ट है। क्योंकि भूरा पुत्र बीजा तो नानगी बेवा जैस्या के गोद नही जाने की अवस्था में भी रामू व कुशला की सम्पूर्ण सम्पति का वारिस अपेक्षित था। इस प्रकार वादी द्वारा उल्लेखित गोद संबंधी तथ्य की पुष्टि नही होती है।

इस प्रकार स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि वादग्रस्त पूर्व में कभी वादी के पूर्वजों के नाम 2/3 हिस्सेदारी के रूप में अंकित नही रही है। जिसकी स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात भी पुष्टि नही करते है। अपितु भूमि वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज के नाम 1/2–1/2 हिस्से के रूप में सारगर्भित/अन्तर्निहित रूप में दर्ज रही है। जिसकी वादी द्वारा स्वयं के अनुकूल व्याख्या मात्र की गई है। इसके अतिरिक्त वादी के पिता का गोद जाने संबंधी तथ्य भी प्रमाणित नही होता है (यद्यपि गोद जाने के तथ्य का वाद की मूल पृष्ठभूमि से कोई संबंध भी नही है, ना ही गोद की औचित्यता स्पष्ट होती है)। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निस्तारीत की जाती है।

2. तनकी सं. 2 :– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। उक्त सन्दर्भ में न्यायालय हाजा के विवेचना अनुसार चूंकि तनकी सं. 1 का निस्तारण वादी के विरूद्ध सिद्ध हुआ है तथा चूंकि यह तनकी सं. 1 की पूरक है। अतः यह तनकी स्वतः ही वादी के विरूद्ध होने से वादी के विरूद्ध तय की जाति है।

3. तनकी सं. 3 :– आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से खारिज योग्य है। उक्त सन्दर्भ में न्यायालय हाजा के विवेचना एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श डी 5 खसरा गिरदावरी सम्वत 2008–11, 2012–15, 2016–19, [illegible]–32 के अनुसार भूमि वाद[illegible] पर कब्ज[illegible]श्त [illegible] से ही निरन्तर नानगी बेवा जैरस्[illegible] बीजा वल्द जीवा [illegible]ति बलाई, प्रभात पुत्र रामू जाति गुर्जर का प्रदर्शित रहा [illegible] वादी अथवा वादी के पिता भूरा उर्फ भूरिया का कब्जाकाश्त कभी नही रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested

...कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

4\. तनकी सं. 4 :– आया वाद प्रतिवादी सं. 5 को 80 (2) सीपीसी का नोटिस दिया गया होने से वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त सन्दर्भ में न्यायालय के विवेचन अनुसार यद्यपि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 5 को धारा 80 (2) सीपीसी का नोटिस नही दिया गया है, जो कि वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है, साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा उक्त सन्दर्भ में वादपत्र में अनुतोष चाहा गया है। इसके अतिरिक्त उक्त तकनीकी आधार मात्र पर वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नही समझते है। वेसे भी यह आपति संबंधित पक्ष तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत नही की गई है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की ज़ाती है।

5\. अनुतोष :–

निर्णय

स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि वादग्रस्त पूर्व में कभी वादी के पूर्वजों के नाम 2/3 हिस्सेदारी के रूप में अंकित नही रही है। जिसकी स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात भी पुष्टि नही करते है। अपितु भूमि वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज के नाम 1/2–1/2 हिस्से के रूप में सारगर्भित/अन्तर्निहित रूप में दर्ज रही है। जिसकी वादी द्वारा स्वयं के अनुकूल व्याख्या मात्र की गई है। इसके अतिरिक्त वादी के पिता का गोद जाने संबंधी तथ्य भी प्रमाणित नही होता है (यद्यपि गोद जाने के तथ्य का वाद की मूल पृष्ठभूमि से कोई संबंध भी नही है, ना ही गोद की औचित्यता स्पष्ट होती है)। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
...लय जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:51 IST
Reason: SelfAttested